भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †66

उत्तर देने की तारीख- 04/12/2023

वनबंधु कल्याण योजना

†66. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वनबंधु कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से वनबंधु कल्याण योजना के अंर्तगत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय 'प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई)' का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 के दौरान 26135.46 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। पीएमवीकेवाई का उद्देश्य राज्य और केंद्रीय टीएसपी निधि के साथ अभिसरण में शिक्षा और आजीविका में उपायों के माध्यम से गांवों के एकीकृत विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में जनजातीय समुदायों और जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। पीएमवीकेवाई के तहत कवर किए गए योजना घटक इस प्रकार हैं:

i. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)
ii. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
iii. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
iv. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
v. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

उपर्युक्त योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई):**

योजना के तहत, अधिसूचित अजजा वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और अनुसूचित जनजाति के 500 लोगों वाले 36,428 गांवों को सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतः गांव/ब्लॉक),

दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विकास के मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों में अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर को पाटने के लिए विकास कार्यक्रमों/ गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। अब तक, योजना के तहत राज्यों को 2169.29 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त (जारी) की जा चुकी है।

(ii) विशेष रूप से कमजोर जनजातियों (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।
2023-24 में सरकार ने पीवीटीजी विकास के कल्याण के लिए विकास मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को अनुमोदित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
(iii) **जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता:** टीआरआई को सहायता योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके प्रस्ताव के आधार पर अनुसंधान, प्रलेखन आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(iv) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक अनावरत (ओपन-एंडेड) योजना है जिसमें **IX**वीं और **X**वीं, कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। भारत सरकार का अंशदान 75% और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का योगदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबार, जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

(v) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति : यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक अनावरत (ओपन-एंडेड) योजना है, जिसमें ग्यारहवीं कक्षा और उससे ऊपर के अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। भारत सरकार का अंशदान 75% और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का अंशदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (एसटी) वाले राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। अनुमोदन के लिए ऐसी परियोजनाओं पर विचार और उसके बाद राज्यों को निधि जारी करना संबंधित योजना (ओं) में निधि की उपलब्धता, योजनाबद्ध मानदंडों, उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) एवं राज्यों द्वारा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर) प्रस्तुत करने और प्रचलित अन्य प्रासंगिक वित्तीय निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं में आंध्र प्रदेश राज्य को जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**निर्मुक्त (जारी) निधि**	
		2022-23	**2023-24**
1.	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	*0.00	0.00
2.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	1645.50	0.00
3.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	219.12	0.00
4.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3792.75	0.00
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	6413.67	0.00

*पीएमएएजीवाई योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****